रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225670
CG-DL-E-05032021-225670

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 2021/फाल्गुन 14, 1942
No. 114] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 2021/PHALGUNA 14, 1942

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2021

**सा.का.नि. 155(अ).—**केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (viiक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है,-

(1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे।

(2) आय-कर नियम, 1962 के नियम 3क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात, -

**3ख. अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vii क) में निर्दिष्ट वार्षिक अभिवृद्धि ।**

अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vii क) के प्रयोजनों के लिए वार्षिक अभिवृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ब्याज, लाभांश अथवा अन्य कोई रकम जो समरूप प्रकृति की हो (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् चालू पूर्ववर्ती वर्ष कहा गया है), अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट निधि या स्कीम के जमा शेष वह रकम अथवा रकमों का योग होगा जिसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:—

**टीपी = (पीसी/2)*आर + (पीसी1+ टीपी 1)*आर**

जहां,

टीपी = चालू पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 17 के खंड 2 के उपखंड (vii क) के अधीन कर योग्य परिलब्धियां;

टीपी$_1$ = चालू पूर्ववर्ती वर्ष से भिन्न, पूर्ववर्ती वर्ष या 1 अप्रैल, 2020 से आरंभ होने वाले वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 17 के खंड 2 के उपखंड (vii क) के अधीन कर योग्य परिलब्धियों का योग (टिप्पण देखें) ;

पीसी = पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान नियोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम में 7.5 लाख रुपए से अधिक के मूल अंशदान की रकम अथवा रकमों का योग;

पीसी$_1$ = पूर्ववर्ती चालू वर्ष से भिन्न 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष अथवा वर्षों के लिए नियोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम में 7.5 लाख रुपए से अधिक के मूल अंशदान की रकम अथवा रकमों का योग (टिप्पण देखें);

आर = आई/ एफ.ए.वी.जी.;

आई = चालू पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम खाते में प्रोदभूत आय की रकम अथवा रकमों का योग;

एफ.ए.वी.जी. = (चालू पूर्ववर्ती वर्ष के पहले दिन विनिर्दिष्ट निधि अथवा स्कीम में जमा शेष की रकम या रकमों का योग + चालू पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन विनिर्दिष्ट निधि अथवा स्कीम में जमा शेष की रकम या रकमों का योग)/2.

**स्पष्टीकरण** :— इस नियम के प्रयोजनो के लिए "विनिर्दिष्ट निधि अथवा स्कीम" से अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (**vii**) में निर्दिष्ट निधि अथवा स्कीम अभिप्रेत होगी।

**टिप्पण :** यदि चालू पूर्ववर्ती वर्ष के पहले दिन पर टीपी$_1$ तथा पीसी$_1$ की रकम या रकमों का योग विनिर्दिष्ट निधि अथवा स्कीम की रकम या रकमों के योग के जमा शेष से अधिक हो तो रकम या रकमों के योग के शेष को टीपी1 तथा पीसी1 के रकम या रकमों के योग की गणना हेतु उपेक्षित किया जाएगा।

[अधिसूचना 11 /2021/F. No. 370142/52/2020-टीपीएल]

गुडरुन नेहर, निदेशक (टीपीएल-II)

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 969 , तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यां सा.का.नि. 664(अ), तारीख 22 अक्तूबर, 2020 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th March, 2021

**G.S.R. 155(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (viia) of clause (2) of section 17 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -

**1. Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Income-tax (1st Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2021.

**2.** In the Income-tax Rules, 1962, after the rule 3A, the following rule shall be inserted, namely: –

**"3B. Annual accretion referred to in the sub-clause (viia) of clause (2) of section 17 of the Act.**

For the purposes of sub-clause (viia) of clause (2) of section 17 of the Act, annual accretion by way of interest, dividend or any other amount of similar nature during the previous year (hereinafter in this rule referred to as the current previous year) to balance to the credit of the fund or scheme referred to in sub-clause (vii) of clause (2) of section 17 of the Act shall be the amount or aggregate of amounts computed in accordance with the following formula, namely:—

**TP= (PC/2)*R + (PC1+ TP1)*R**

Where,

TP= Taxable perquisite under sub-clause (viia) of clause (2) of section 17 of the Act for the current previous year;

$TP_1$ = Aggregate of taxable perquisite under sub-clause (viia) of clause (2) of section 17 of the Act for the previous year or years commencing on or after 1st day April, 2020 other than the current previous year (*See Note*);

PC= Amount or aggregate of amounts of principal contribution made by the employer in excess of Rs. 7.5 lakh to the specified fund or scheme during the previous year;

$PC_1$ **=** Amount or aggregate of amounts of principal contribution made by the employer in excess of Rs. 7.5 lakh to the specified fund or scheme for the previous year or years commencing on or after 1st day April, 2020 other than the current previous year (*See Note*);

R= I/ Favg-;

I=Amount or aggregate of amounts of income accrued during the current previous year in the specified fund or scheme account;

Favg = (Amount or aggregate of amounts of balance to the credit of the specified fund or scheme on the first day of the current previous Year + Amount or aggregate of amounts of balance to the credit of the specified fund or scheme on the last day of the current previous year)/2.

***Explanation***. — For the purposes of this rule, "specified fund or scheme" shall mean a fund or scheme referred to in sub-clause (vii) of clause (2) of section 17 of the Act.

**Note:** Where the amount or aggregate of amounts of TP1 and PC1 exceeds the amount or aggregate of amounts of balance to the credit of the specified fund or scheme on the first day of the current previous year, then the amount in excess of the amount or aggregate of amounts of the said balance shall be ignored for the purpose of computing the amount or aggregate of amounts of $TP_1$ and $PC_1$.".

[Notification No. 11 /2021/F. No. 370142/52/2020-TPL]

GUDRUN NEHAR, Director (TPL-II)

**Note:** The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,sub-section (ii) *vide* notification number. S.O. 969 dated the 26th March, 1962 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. No. 664(E) dated the 22nd October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.05 22:11:12 +05'30'